# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला—बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— श्री शिवराज मीणा, आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0:—10 / दावा / 2024 ता0 रजू 06.02.2024

GCMS ID—2024 / 37

**उनवान**

1. सुरेन्द्र कुमार उर्फ फतेहलाल आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 226 ए तलवन्डी कोटा राज0

—वादी—

**बनाम**

1. अजीतकुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 216 ए तलवन्डी कोटा राज0
2. कैलाश देवी पुत्री मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी रिद्वी सिद्वी नगर कोटा राज0
3. पारसकुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 133 इन्द्रा विहार कोटा राज0
4. महेन्द्रकुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 321 ए तलवन्डी कोटा राज0
5. रवीन्द्रकुमार आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी 316 ए तलवन्डी कोटा राज0
6. राजेन्द्रलाल आ0 मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकड़ा हाल निवासी तेली मोहल्ला, देवली राज0
7. लाडदेवी पुत्री मनोहरलाल जाति महाजन निवासी टोंकडा हाल निवासी रिद्वी सिद्वी नगर कोटा राज0
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

**दावा बाबत :— तकासमा आराजियात, स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थितः—

श्री चन्द्रप्रकाश जैन अधि0 वादी

श्री महेश नामा अधि0 प्रतिवादीगण

**आदेश** दिनांकः—06.06.2025

वाद वादी का मुख्य रूप से कथन है कि वादी कृषि भूमि खाता संख्या 448 खसरा संख्या 1750 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2295 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3091 / 1292 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3114 / 1718 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 650 रकबा 1.0846 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.4840 हैक्टेयर वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली में विरिथत है, जो वादी व प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

दर्ज है। जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगातार 7 का प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा दर्ज है भूमि की जमाबंदी सलंग्न वादपत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों पर वादी व प्रतिवादीगण हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण ने भूमि पर काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से भूमि के मौके पर हिस्से कर रखे है तथा हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर खेती करवाते आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर काफी पैसा लगार भूमिं को समतल करवाकर अच्छी कृषि उपज योग्य बना लिया है, जिस पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर खेती करवाता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का खाता सामलाती होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि पर स्थायी निर्माण नहीं कर पा रहा है और भूमि पर अपने स्थायी संसाधन नहीं ला पा रहा है, क्योंकि बंटवारा हुए बिना सामलाती खाते की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार कानूनन माना गया है, तथा खाता सामलाती होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग, उपभोग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तथा प्रतिवादीगण व वादी के मध्य उक्त भूमियों को लेकर आये दिन विवाद होता है, तथा दिनांक 05.01.2024 को भी प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से पर भूमि पर दखलन्दाजी करवाने का प्रयास किया तब वादी ने वादग्रस्त भूमियों का हिस्सेनुसार बंटवारा करवाने का दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि तहसील कार्यालय मं चलकर आपसी सहमति से भूमियों का बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवा लेंगे, लेकिन प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा करवाने से इन्कार हो गये यही वाद उत्पत्ति का कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में निहित वादी के हिस्से की भूमि का मौके के अनुसार पृथक खाता कायम करवावे व वादी के हिस्से की भूमि वादी बंटवारे में अपने हिस्से में रखवाये व अपना खाता पृथक करवाकर बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करे साथ ही वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। वाद में बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है, बंटवारे के वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से राज्य सरकार के प्रतिनिधि जर्ये तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाकर वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विरिथत होने से श्रीमान को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद अर्न्तगत अवधि निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री बयम खर्चा सादिर फरमायी जावे। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 448 खसरा संख्या 1750 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2295 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3091/1292 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3114/1718 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 650 रकबा 1.0846 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.4840 हैक्टेयर वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली में निहित वादी के हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का खाता पृथक कायम किया जावे एवं वादी के बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिया जावे। यथा सम्भव वादी के हिस्से में वादी के कब्जे काश्त की भूमि रखी जावे एवं वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने, वादी की भूमि के उपयोग, उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में सुलभ हो दिलायी जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब पेश कर वाद वादी डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 8 फोरमल पक्षकार होने से जबाव की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादीगण का जबाव स्वीकारात्मक होने से तनकीयात कायम नहीं की गई है।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 448 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा तहसील हिण्डोली पेश किये एवं वादी का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान दर्ज कर शामिल मिसल किये गये।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र/प्रतिवाद पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं जिनका उन्हे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रतिवादीगण को भी मुताबिक रिकॉर्ड के बंटवारा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांकः– 09.01.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व/25/1316 दिनांकः– 19.05.2025 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पक्षकारान के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः वाद वादीगण मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि ग्राम टोंकडा पटवार मण्डल टोंकडा की निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

| क्र0सं0 | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा है0 में |
|---|---|---|---|
| 1. | सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति महाजन हिस्सा पूर्ण सा0 देह खाते0 | 1750<br>3114 / 1718 | 0.2509<br>0.3157 |
| | योग | किता– 2 | 0.5666 |
| 2. | अजीत कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति महाजन हिस्सा पूर्ण सा0 देह खाते0 | 650 | 1.0846 |
| | योग | किता–1 | 1.0846 |
| 3. | पारस कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति महाजन हिस्सा पूर्ण सा0 देह खाते0 | 2295 | 0.4047 |
| | योग | किता–1 | 0.4047 |
| 4. | राजेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति महाजन हिस्सा पूर्ण सा0 देह खाते0 | 3091 / 1292 | 2.4281 |
| | योग | किता–1 | 2.4281 |

नक्शे में वादी व प्रतिवादी के हिस्से में आई भूमियॉ पृथक–पृथक खसरा नम्बर होने से प्रस्तावित नक्शें में पृथक–पृथक दर्शायी हुई है। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)